

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

न० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1973/पौष 30, 1894

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1973/PAUSA 30, 1894

इस भाग में सिद्ध पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अंग संपादन के क्रम में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi the 20th January 1973

S.O. 37(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and, in partial modification of the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No 375/31/71-AVD III (S O 3863), dated the 16th October, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th October, 1971, the Central Government hereby appoints, with effect from the 20th January 1973 (Afternoon), Shri Lakshmi Narayan Chhangani, a retired Judge of the Rajasthan High Court, in place of Shri Durga Shankar Dave (resigned), to constitute the Commission of Inquiry to inquire into the matters specified in the said notification

[No 381/30/72-AVD III]

U C AGARWAL, Jt Secy

कामिक विभाग
(मंत्रिमंडल सचिवालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973

का० आ० 37 (अ) :—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में 16 अक्टूबर, 1971 को प्रकाशित, भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय (कामिक विभाग), की अधिसूचना संख्या 375/31/71-ए० वी० डी०-3, (का० आ० 3863) दिनांक 16 अक्टूबर, 1971 में आंशिक संशोधन करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निर्धारित मामलों की जांच करने के लिये श्री दुर्गा शंकर दवे (जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है) के स्थान पर राजस्थान हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री लक्ष्मीनारायण छेगानी को तारीख 20 जनवरी, 1973 के अपराह्न से जांच आयोग के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है ।

[संख्या 381/30/72-ए० वी० डी०-3]

उदय चन्द अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।